





01-1-19

ककुल.ए.फते.उप.पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो  
व्यक्त/.....  
पधारे हैं। मिसल वाले निवसत कार्यवाही हेतु पी.ओ.  
समाप्त दिनांक 02-01-19 को पेश हों। कार्यवाही  
उपाधि 1/4

लक्ष्मी सिंह



मि. वसन्त




मि. सुर

02-01-19


वकील वारी व स्वयं वारीगण उपाधि 1/4  
वारीगण की ओर से गुण पत्र वासे प्रकरण  
में कोई कार्यवाही नहीं चाहने वाकत पुस्तुत  
हुआ। वकील वारी ने कथन किए कि वारीगण  
एवं प्रतिवारीगण के बीच मौजूद लोगों की  
समझौता से आपसी राजीनामा हो गया है  
तथा वारीगण एक ही परिवार के लोग हैं, इस  
कारण वारीगण उपरोक्त प्रकरण को जारी  
नहीं चलाना चाहते हैं, अतः प्रकरण हारिज  
रफ्तार कराने के आदेश कराने/गुण पत्र  
एवं फावली का अवलोकन किया गया तो  
पाया कि प्रकरण में गुण.सं. 1 से 4 के किट्ट  
एकत्रता कार्यवाही की जा चुकी एवं अभी  
आपनी प्राथमिक स्थिति में है। उपाधि वारीगण  
को गुण पत्र राजीनामा पढकर सुनाया व  
समझाया गया जिस पर उन्होंने सहमति जताए  
करते हुए वार झोंगे नहीं चलाने का निवेदन  
किया। उक्त आग्रह के हिसाबत उपाधि वारीगण  
से करवाए गए जिनकी पहचान उनके डीएनए  
ने संकित की। उक्त संकित निवेदन के आधार  
पर लोक अदालत की भावना से प्रकरण हरी  
कार पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल  
सुमात्र होकर नवंबर से तक हो

सैतान सिंह

लक्ष्मी सिंह



मि. सुर



मि. वसन्त

सैतान सिंह

Sir  
Subhan  
Laxmi  
Jitendra

(सुरेश चौधरी)

अधिवक्ता सहायक कलेक्टर  
बाबर